

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2012—फाल्गुन 26, शक 1933

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. एफ. 22-41-11-आठ.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-3-2000-आठ, दिनांक 23 अगस्त 2005 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित समस्त अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर किए गए तथा उक्त अनुसूची के कालम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन करने हेतु उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित की गई रकम विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अधिकारियों के पदनाम (1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा (2)	प्रशमन की रकम (3)
परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त,	177	रुपये 440/-
संयुक्त परिवहन आयुक्त, समस्त उप परिवहन आयुक्त,	178(1)	रुपये 750/-
समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	178(2)	रुपये 750/-
समस्त उप खण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट	178(3)(क)	रुपये 100/-
समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	178(3)(ख)	रुपये 150/-
समस्त उप पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,	179	रुपये 100/-
समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, समस्त जिला	180	रुपये 500/-
परिवहन अधिकारी, समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,	181	रुपये 750/-
समस्त परिवहन निरीक्षक तथा परिवहन उप निरीक्षक,	182(1)	रुपये 750/-
पुलिस विभाग परिवहन शाखा में पदस्थ समस्त निरीक्षक	182(2)	रुपये 150/-
तथा उप निरीक्षक.	183(1)	रुपये 600/-

(1)	(2)	(3)
	183(2)	रुपये 400/-
	184	रुपये 1500/-
	186	रुपये 500/-
	189	रुपये 1000/-
	190(2)	(क) रुपये 150/- मोपेड, मोटर साइकिल तथा ऑटो रिक्शा के लिये (ख) रुपये 600/- श्री व्हीलर टैम्पो/मोटर कैब/मोटर कार के लिये. (ग) रुपये 1200/- अन्य मोटर यानों के लिये.
	191	रुपये 600/-
	192 (1) (क) बिना रजिस्ट्रीकरण	1. रुपये 500/- मोपेड, मोटर साइकिल के लिये. 2. रुपये 750/- हल्के मोटरयान के लिये. 3. रुपये 1250/- मध्यम माल/यात्री मोटरयान के लिये. 4. रुपये 2000/- भारी मोटरयान के लिये.
	(ख) बिना फिटनेस के माल यान.	1. रुपये 750/- हल्के मोटरयानों के लिये. 2. रुपये 1500/- अन्य मोटर यान.
	(ग) बिना फिटनेस के यात्री यान	1. रुपये 750/- टैक्सी कैब्स के लिये. 2. रुपये 25000/- अन्य मोटर यानों के लिये.
	194(1)	रुपये 500 न्यूनतम तथा आधिक्य भार या उसके भाग के लिये प्रति टन रुपये 500/-अतिरिक्त आधिक्य भार को लदान रहित करने के लिये न्यूनतम रुपये 75/- प्रति टन या उसका भाग या उसके लदान रहित करने के लिये वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.
	194(2)	रुपये 3000/-

(1)	(2)	(3)
	196	1. रुपये 200/-मोपेड/मोटर साइकिल के लिये. 2. रुपये 1500/- हल्के मोटर यान के लिये (मालयान/ यात्री यान) 3. रुपये 1500/- मध्यम मोटरयान/भारी मोटरयान (मालयान/यात्रीयान)
	198	रुपये 200/-

No. F-22-41-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. F 22-3-2000-VIII, dated 23rd August 2005, the State Government hereby, specify all the officers mentioned in column (1) of this schedule below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under the sections mentioned in the column (2) of the said schedule for the amount mentioned in the corresponding entries in column (3) thereof, namely :—

SCHEDULE

Designation of Officers (1)	Section of the Motor Vehicles Act, 1988 (2)	Amount of composition (3)
Transport Commissioner, Addl. Transport Commissioner, Joint Transport Commissioner, All Dy. Transport Commissioners, All District Magistrates, All Addl. District Magistrates, All Sub-Divisional Magistrates, All Executive Magistrates, All Superintendents of Police, All Addl. Superintendents of Police, All Deputy Superintendents of Police, All Regional Transport Officers, All Addl. Regional Transport Officers, All District Transport Officers/All Asstt. Regional Transport Officers, All Transport Inspectors and Transport Sub-Inspectors, all Inspectors and Sub-Inspectors posted in Traffic branch of Police Deptt.	177 178 (1) 178 (2) 178(3)(a) 178(3)(b) 179 180 181 182(1) 182(2) 183(1) 183(2) 184 186 189	440 750 750 100 150 100 500 750 750 150 600 400 1500 500 1000
	190(2)	(A) Rs. 150/- for Moped, Motor cycle and Auto Rickshaw. (B) Rs. 600/- for three Wheeler Tempo/Motor Cab/Motor Car. (C) Rs. 1200/- for other Motor vehicles.
	191	Rs. 600/-

(1)	(2)	(3)
	192(1) (A) without registration	1. Rs. 500/- for Moped, Motor Cycle 2. Rs. 750/- for light motor vehicles. 3. Rs. 1250/- for medium goods/passenger motor vehicles. 4. Rs. 2000/- for heavy motor vehicles.
	(B) Without Fitness goods vehicles.	1. Rs. 750/- for light motor vehicles. 2. Rs. 1500 for other motor vehicles.
	(C) Without Fitness passenger vehicles	1. Rs. 750/- Taxi cabs. 2. Rs. 2500/- for other motor vehicles.
	194(1)	Rs. 500/- minimum and extra Rs. 500/- per tonne or part thereof of excess load for unloading excess load minimum Rs. 75/- per tonne or part thereof or actual expenses whichever is higher.
	194(2)	Rs. 3000/-
	196	1. Rs. 200/- for Moped/Motor cycles 2. Rs. 1500/- for Light Motor Vehicles (goods vehicles/passenger Vehicles) 3. Rs. 1500/- for Medium Motor Vehicles/Heavy Motor Vehicles Goods/passenger.
	198	Rs. 200/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.